

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 20.11.2021 जनपद देवरिया*

दिनांक 19.11.2021 को पुलिस अधीक्षक देवरिया डा0 श्रीपति मिश्र द्वारा कच्ची शराब के निष्कर्षण, बिक्री एवं संलिस अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु संभावित स्थानों पर दबिश आदि की कार्यवाही करने हेतु जनपदीय पुलिस को निर्देशित किया गया। जिसके क्रम में समस्त क्षेत्राधिकारी, प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष मय पुलिस फोर्स द्वारा अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत ईंट भट्टों, देवारा क्षेत्रों एवं संभावित स्थानों पर दबिश देकर मौके से कुल लगभग 90 लीटर अवैध शराब बरामद करते हुए कुल 07 अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर उनके विरुद्ध 07 अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार विधिक कार्यवाही किया गया।

***02.वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी:-**

दिनांक 19.11.2021 को देवरिया पुलिस द्वारा चलाये गये अभियान में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा 02 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनका विवरण निम्नवत है

- ➡ थाना गौरीबाजार - मु0अ0सं0 363/2021 धारा 302 भा0द0वि0 नाम पता अभियुक्त-
01.जगमोहन निषाद पुत्र जयकरन निषाद सा0 भटौली बुजुर्ग टोला नौगांवा थाना गौरीबाजार देवरिया

03. निरोधात्मक कार्यवाही-

दिनांक 19.11.2021 को देवरिया पुलिस द्वारा चलाये गये अभियान में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निरोधात्मक कार्यवाही की गयी, जिनका विवरण निम्नवत है-

- ➡जनपदीय पुलिस द्वारा 151 सीआरपीसी के अन्तर्गत 23 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही किया गया।

04. जनपदीय पुलिस द्वारा मोटर वाहन अधिनियम में कार्यवाही-

दिनांक 19.11.2021 को जनपदीय पुलिस द्वारा शातिर अपराधियों, संदिग्ध व्यक्तियों, संदिग्ध वाहनों के विरुद्ध चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसके परिप्रेक्ष्य में जनपद के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण निम्नवत है-

- ➡वाहन चेकिंग के दौरान 55 वाहनों से 55,500 रुपये शमन शुल्क (ई-चालान) किया गया।

